



# उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की सूत मिल आवासीय योजना, इटावा में सामान्य पंजीकरण के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड प्राप्त करने का सुनहरा अवसर



बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर

## ऑनलाइन/ऑफलाइन पंजीकरण

आवासीय भूखण्डों का विवरण

अवधि 16.02.2021 से 20.03.2021

UPRERAPRJ104249

क्रम सं.	योजना/शहर का नाम	भूखण्ड का वर्गीकरण	भूखण्डों की संख्या	भूमि दर (प्रति वर्ग मी.)	पंजीकरण धनराशि
1.	सूत मिल आवासीय योजना, इटावा  भूखण्डों का आवंटन लाटरी द्वारा	गुप - अ 60 वर्ग मी. से 80 वर्ग मी.	58 नग	27,000.00	106200.00
		गुप - ब 80 वर्ग मी. से 120 वर्ग मी.	11 नग	27,000.00	142000.00
		गुप - स 120 वर्ग मी. से 150 वर्ग मी.	95 नग	27,000.00	171200.00
		गुप - द 150 वर्ग मी. से 300 वर्ग मी.	5 नग	27,000.00	390000.00
		योग	169 नग		

ऑफलाइन के आवेदन के लिए पंजीकरण पुस्तिका रू0 1000/- (जीएसटी सहित) भुगतान कर एच.डी.एफ.सी. बैंक, इटावा से प्राप्त की जा सकती हैं।

### नियम व शर्तें

- एक मुश्त भुगतान का विकल्प चयन करने पर आवंटन के पश्चात् आवंटन-पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- एक मुश्त भुगतान विकल्प चयन करने वाले आवेदकों को आवंटन में वरीयता दी जायेगी। एक मुश्त भुगतान विकल्प के आवेदकों के मध्य आवंटन लाटरी से एवं उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किशतों का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी से कार्यवाही की जायेगी।
- विस्तृत जानकारी हेतु परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर उपलब्ध ई-पंजीकरण पुस्तिका देखें।
- रेरा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट [www.up.rera.in](http://www.up.rera.in) पर देखें।
- परिषद के विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटनी को आवंटन के समय एस.बी.आई. की प्रभावी ब्याज दर MCLR+01% के अनुसार ब्याज उसी आवंटनी को भुगतान किया जायेगा।

### सम्पर्क सूत्र-

श्री हरेन्द्र कुमार गुप्ता  
सम्पत्ति प्रबन्धक, इटावा  
मो. नं. 8795810912

श्री अभिषेक राज  
अधिशासी अभियन्ता, नि.ख. कानपुर-03  
मो.नं. 8795811702

श्री अरविन्द कुमार  
अधीक्षण अभियन्ता, संयुक्त आवास आयुक्त, कानपुर  
मो.नं. 8795810209

परियोजना के पूर्ण होते की अवधि : 24 माह

ऑनलाइन/ऑफलाइन सुविधा प्रदाता बैंक-  
एच.डी.एफ.सी. बैंक, 614/1/2/3,  
कटरा फतेह ममूर खॉन, पुराना  
आर्य कानपुर रोड, इटावा।  
दूरभाष संख्या: 9839084820



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: [www.upavp.in](http://www.upavp.in), E-mail: [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)



टोल फ्री

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें  
1800-180-5333 दूरभाष 0522-2236803  
या परिषद की वेबसाइट पर लॉगइन करें।